वाहन स्टैण्ड हेतु निविदा फार्म एवं शर्तें

–: निविदा फार्म :–

कार्यालय की सील
व रसीद नंबर

प्रथम पक्ष :– निविदाकर्ता
का नाम – ....
पता – ....
....
ई–मेल ....
मोबा0नं0 ....

द्वितीय पक्ष :– जिला रजिस्ट्रार,
कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायालय, कटनी (म0प्र0)

––00––

जिला न्यायालय परिसर, कटनी स्थित आने जाने वाले वाहनों के लिये स्थानक (स्टैण्ड) के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से वित्तीय वर्ष 2018–19 (01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019) की समयावधि हेतु निम्न निर्धारित शर्तों के अध्यधीन निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं:–

// निर्धारित शर्तें //

1. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदाऐं दिनांक 23.03.2018 के सायंकाल 5.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओ पर कोई विचार नही किया जावेगा।

2. अनुज्ञा शुल्क 2000 रूपये प्रतिमाह निर्धारित होगा जो अनुबंध निष्पादन के पूर्व प्रथम पक्ष को सम्पूर्ण वर्ष भर का 2000 X 12 = 24,000रू के मान से अग्रिम के रूप में द्वितीय पक्ष को अदा करना होगा।

3. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उस निविदाकर्ता के साथ वाहन स्टेण्ड का संचालन एक वर्ष के लिये किये जाने हेतु दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध सम्पादित किया जावेगा। वाहन स्टेण्ड के संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन स्टेण्ड के संचालन हेतु एक वर्ष की वृद्धि अनंतिम बोली की राशि एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्रथम पक्ष द्वारा सपूर्ण राशि जमा करने पर की जा सकती है। इस हेतु निविदाकर्ता को अनुबंध समाप्ति के दिनाक से एक माह पूर्व आवेदन पत्र द्वितीय पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन स्वीकार करने/अस्वीकार करने का अधिकारी द्वितीय पक्ष का होगा। अनुज्ञा शुल्क की राशि उपरोक्त उल्लेखित अनुक्रमाक 02 के अनुसार ही प्रथम पक्ष को अदा करना होगी।

4. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ 10,000/– (दस हजार) की अमानत राशि जिला न्यायाधीश, कटनी को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप मे प्रस्तुत करना होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकताओं को उक्त अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जायेगा, किन्तु सफल निविदाकर्ता की उक्त राशि निविदाकर्ता और जिला न्यायाधीश कटनी के संयुक्त नाम की बैंक एफ0डी0आर0 के रूप मे अमानत राशि के रूप में रखी जायेगी, जो निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का किसी भी रूप में उल्लघन किये जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा सम्पहृत की जा सकेगी।

5. सफल निविदाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एफ0डी0आर0 अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर प्रथम पक्ष को वापिस की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, परन्तु सावधि पर अर्जित बैंक ब्याज प्रथम पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

6. प्रथम पक्ष द्वारा वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु प्रथम एक वर्ष के लिये राशि..अक्षरी .... की **अधिकतम बोली** प्रस्तावित की जाती है।

7. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अतिम रूप से मान्य होगी, उसे निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनाक को या उसके पूर्व बोली की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनाक से ठीक छः माह पूर्ण होने के 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

8. अनुबंध की शर्तो का प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के वाहन स्टैण्ड अनुबध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन हित में राजसात की जा सकेगी। जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नही होगा।

09. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के आदेशानुसार या अन्यथा जिला न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा जिसका निविदाकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।

लगातार 2........

10. वाहन स्टैण्ड के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर, विवाद का निराकरण जिला न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा। जिसका निर्णय/अवार्ड अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

11. निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नही करेगा, जिससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय संपत्ति को क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।

12. निविदाकर्ता वाहन स्टैण्ड संचालन के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधिविरूद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकर्ता के विरूद्ध विधिवत् कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

13. प्रथम पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु साईकिल स्टेंड परिसर का उपयोग नही करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से साईकिल स्टेंड परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर वाहन का अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

14. समय-समय पर द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा साईकिल स्टेंड परिसर का निरीक्षण किया जा सकेगा।

15. निविदाकर्ता वाहन स्टैण्ड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में समय-समय पर द्वितीय पक्ष के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार करेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसरों पर वाहन स्टैण्ड का आवश्यक रूप से संचालन किया जायेगा।

16. निविदाकर्ता वाहन स्टैण्ड के संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण/संरचना नही करेगा। निविदाकर्ता द्वारा वाहन स्टैण्ड संचालन मे अस्थायी निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगें, जो शासकीय संपत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो। किन्ही कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण को हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटायेगा।

17. निविदाकर्ता वाहन स्टैण्ड तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा। किसी भी प्रकार का प्रदूषण नही करेगा। अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रतिदिवस 100/-रु की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

18. प्रथम पक्ष वाहनों को सुव्यवस्थित रूप से रखेगा जिससे पक्षकारान तथा अन्य वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो तथा सार्वजनिक या अन्य मार्ग पर वाहन पार्किंग न तो स्वयं करेगा न अन्य को करने देगा।

19. सामान्यतः प्रथम पक्ष दोपहिया वाहन/चार पाहिया वाहन के लिये अधिकतम निम्नानुसार पार्किंग शुल्क प्राप्त करने का अधिकारी होगा:-

1-	साइकिल	-	दो रूपये प्रतिदिन	तीस रू0 प्रतिमाह
2-	दोपहिया वाहन	-	पांच रूपये प्रतिदिन	पचहत्तर रू0 प्रतिमाह
3-	चार पाहिया वाहन एवं अन्य	-	दस रूपये प्रतिदिन	एक सौ पचहत्तर रू0 प्रतिमाह

किन्तु न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण को एवं अन्य शासकीय विभाग के कर्मचारियों एवं विकलांगों को वाहन स्थानक पर अपने वाहनों को निःशुल्क रखने की पात्रता होगी।

किन्तु यह भी कि प्रथम पक्ष, अधिवक्तागण के वाहन से लिये जाने वाले शुल्क की दर अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों से चर्चा कर जिला न्यायाधीश द्वारा शुल्क निर्धारित किया जाएगा और उस अनुसार पार्किंग शुल्क उनके द्वारा देय होगा।

अनुमोदित पार्किंग शुल्क की दरों को प्रथम पक्ष को निज व्यय पर सहजदृश्य भागों पर लोक प्रदर्शित करना होगा।

20. प्रथम पक्ष के कर्मचारी वाहन स्वामियों से सभ्यतापूर्वक व्यवहार करेगा। साथ ही वाहनों की सुरक्षा का दायित्व भी प्रथम पक्ष का ही रहेगा।

21. प्रथम पक्ष वाहन स्थानक के संचालन के लिये किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारी को नियोजित नहीं करेगा तथा नियोजित कर्मचारियों की सूची रजिस्ट्रार जिला न्यायालय से अनुमोदित करायी जायेगी तथा प्रथम पक्ष अपने कर्मचारियों को पहचानपत्र जारी करेगा जो उसे धारण करना होगा।

22. निविदाकर्ता अनावश्यक रूप से स्टैण्ड बंद नही रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा रू0 500 प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

23. स्टैण्ड के संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को कोई दायित्व नहीं रहेगा।

24. न्यायालय परिसर स्थित पूर्ण स्टैण्ड परिसर 'यथावत स्थिति में' उपलब्ध कराया जाएगा।

25. वाहन स्टैण्ड जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित समय सामान्यतः प्रातः 8:00 बजे से सायकाल 7:30 बजे तक ही चलायी जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन की निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।

लगातार 3.......

26 निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव सबधी प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो) प्रस्तुत किये जायेंगे। उक्त अनुभव आदि को समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुये प्राथमिकता दी जा सकेगी।

27 सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फॉर्म मे उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन किये जाने सबधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प ड्यूटी निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष) के व्यय से निष्पादन किया जायेगा।

28. द्वितीय पक्ष द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंघन करने/विवाद करने वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियों, पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा/उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा/निविदा निरस्त की जा सकेगी।

29. कार्यालय जिला न्यायालय, कटनी द्वितीय पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा की घोषित की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित/परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।

निविदाए दिनाक 24.03.2018 को सायंकाल 05:00 बजे कमेटी द्वारा खोली जावेगी। जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते है।

मुझे निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार है।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)	हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)